न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बसिया

धारा 107 दं0प्र0सं0
वाद सं0 25/2016 दिनांक 27/08/2016

प्रथम पक्ष – रामवृत साहु पिता स्व0 कबुल साहु सा0 कामडारा बगैरह...................... ।

बनाम

द्वितीय पक्ष – गहनी कुमारी पिता स्व0 लोकनाथ साहु सा0 कामडारा बगैरह...................... ।

आदेश

उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 10/2016 दिनांक 25/06/2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) रामवृत साहु उम्र 50 वर्ष पिता कबुल साहु (2) संजय साहु उम्र 30 वर्ष पिता स्व0 रामवृत साहु दोनो सा0 कामडारा बनाम द्वितीय पक्ष (1) गहनी कुमारी उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 लोकनाथ साहु (2)हलिन्द्र साहु उम्र 51 वर्ष पिता स्व0 चरकु साहु (3) मुन्सी साहु उम्र 50 वर्ष पिता स्व0 अमीन साहु (4) जितेन्द्र साहु उम्र 24 वर्ष (5) धर्मेन्द्र साहु उम्र 21 वर्ष दोनो पिता हबीन्द्र साहु सा0 कामडारा सभी थाना कामडारा जिला गुमला के द्वारा भूमि संबंधि विवाद को लेकर उभय पक्षों के बीच शांति भंग होने की सम्भावना को लेकर न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है:–

प्रथम पक्षः– प्रथम पक्ष के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा अपने पक्षकारो का उपस्थिति पत्र दाखिल किये है प्रथम पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल नही किये है

द्वितीय पक्षः– द्वितीय पक्ष के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा अपने पक्षकारो का उपस्थिति पत्र दाखिल किये है द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल नही किये है

उभय पक्षो के अधिवक्ताओं के द्वारा अपने अपने पक्षकारो के द्वारा न्यायालय के बाहर आपसी समझौता एवं विवादित भूमि को आपसी बटवारा कर वाद को समाप्त करने संबंधी हेतु इकरारनामा सह सुलहनामा पत्र अधिवक्ताओं माध्यम से प्रस्तुत किये जो निम्न प्रकार किया गया है ।

उक्त विवादित जमीन पर गहनी कुमारी पिता स्व0 लोकनाथ साहु व अन्य अपीलार्थी के द्वारा रामवृत साहु व अन्य के विरूद्ध टाइटल अपील सं0 18/2012 किया गया था जिसमें माननीय जिला न्यायालय गुमला के द्वारा आदेश पारित हुआ था जिसमें गिफट डीड संख्या 204/85 दिनांक 21/01/1985 के अनुसार अपीलार्थी गहनी कुमारी को अपने पिता के हिस्से का कुल 38 डी0 जमीन देने का आदेश पारित हुआ। अब दोनें पक्षों ने आपस में सहमति के आधार पर जमीन का विवाद निपटा लिया जो निम्न लिखित है।

अनुमंडल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

20/08/16
अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

यह कि उक्त जमीन अन्तर्गत मौजा कामडारा खाता सं0 06 प्लॉट सं0 3321/2914 कुल रकबा 36 डी0 में से 10 डी0 जमीन गहनी कुमारी को देंगे।

यह कि खाता सं0 06 प्लॉट सं0 3316 /2919 23 डी0 में से 10 डी0 गहनी कुमारी को देंगे।

यह कि इसी तरह खाता सं0 06 प्लॉट सं0 2649 में जितना रकबा होगा उसका आधा गहनी कुमारी पिता स्व0 लोकनाथ साहु एवं आधा रामवृत साहु बगैरह पिता स्व0 कबुल साहु उ0 से द0 आधा होगा प0 तरफ गहनी कुमारी का होगा एवं पूरब तरफ रामवृत साहु बगैरह का होगा।

यह कि इसी तरह 2651 में जितना रकबा होगा उसका आधा गहनी कुमारी पिता स्व0 लोकनाथ साहु पश्चिम में और पूरब में रामवृत साहु बगैरह का होगा। उक्त जमीन का बटवारा उत्तर से दक्षिण होगा साथ ही उक्त भूमि को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं करेगे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा अपने अपने पक्षकारों के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में आपसी बटवरा एवं सुलनामा पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त दाखिल सुलहनाम पत्र सह बटवारा पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष आपसी सुलह कर विवादित भूमि को आपसी बटवारा कर लिए है किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

अतः उभय पक्षो के द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा सह बटवारा पत्र के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

लेखापित

20/05/16

अनुमंडल दंडाधिकारी
बसिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.12 15:10:18 +05:30
Location: 192.168.0.112